BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 367 OF 2022

IN THE MATTER OF:

RAJENDRA PRASAD GUPTA ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. ...RESPONDENTS

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF REPONDENT NO. 9, VARANASI DEVELOPMENT AUTHORITY	1-15
2.	**ANNEXURE A:** A copy of letter dated 16.01.2025 by the Varanasi Development Authority.	16
3.	**ANNEXURE B:** A copy of Action Plan Report dated 05.02.2025.	17-18
4.	**ANNEXURE C:** A copy of letter no. letter No. dated 20.01.2025 issued to Professor Vrind Kumar, IIT BHU.	19
5.	**ANNEXURE D:** A copy of letter dated 27.12.2024.	20
6.	**ANNEXURE E:** A copy of letter dated 30.11.2024.	21
7.	**ANNEXURE F:** A copy of letter dated 30.12.2024 issued to BDO.	22

8.	**ANNEXURE G:** A copy of letter dated 30.11.2024 issued to Executive Officer.	23
9.	**ANNEXURE H:** A copy of inspection report dated 09.10.2024.	24-26
10.	**ANNEXURE I (Colly):** A copy of photographs taken during the visit.	27-30
11.	**ANNEXURE J:** A copy of minutes of the review meeting dated 22.10.2024.	31-34
12.	**ANNEXURE K:** A copy of minutes of review meeting dated 19.11.2024.	35-39

13. Vakalatnama 40

14. Undertaking letter 41

FILED BY

MALAK BHATT
ADVOCATE FOR RESPONDENT NO. 9
C-7, NIZAMUDDIN EAST, GROUND FLOOR,
NEW DELHI 110013
EMAIL: malak@malakbhatt.com
MOB: +91 9650592002

DATE: 17.02.2025

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 367 OF 2022

IN THE MATTER OF:

RAJENDRA PRASAD GUPTA ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. ...RESPONDENTS

AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPODNENT NO. 9, VARANASI DEVELOPMENT AUTHORITY

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Anuj Kumar Sharma, S/o I.C. Sharma aged about 59 years, Assistant Engineer of Varanasi Development Authority, presently in Varanasi (U.P.) and do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. I am the Assistant Engineer of Varanasi Development Authority (herein referred as "**Answering Respondent**") and fully conversant with the facts and circumstances of the present case and therefore competent to sign and depose the present Affidavit.

2. The present affidavit is filed in compliance of the order dated 04.11.2024passed by this Hon'ble Tribunal.

3. That the present matter has been filed before this Hon'ble Tribunal for the issue of sewage, domestic waste water and untreated industrial waste water being discharged of in river Ganga at Varanasi, rendering the river Ganga being polluted and not fit for bathing the holy water. As a result, hurting the sentiments of the devotees by depriving them of the holy waters of river Ganga at Varanasi. The complaint specially refers to the locations like Sunbeam School SamaneGhat, Varanasi, Ravidash Park Nagava Varanasi, SankatMochanNala, BatuspurSaraiNandan Varanasi and TegaraMorh,Ramnagar, Varanasi.

4. It is most humbly submitted a letter no. 1734/V.P./Nirman/2024-25 dated 16.01.2025 was issued in reference to letter No. 1000/V.P./Vidhi/2024-2025 dated 11.12.2024, wherein the Answering Respondent seeks to inform regarding the compliance of this Hon'ble Tribunal's order dated 04.11.2024 in OA No. 367 of 2022 that the septic tank and Drains in the Ramnagar Housing scheme have been cleared as per compliance requirements. That a work plan and cost estimate for the construction of a soak pit have been prepared and letters to obtain the No Objection Certificate/Consent has been sent to various authorities as mentioned below:

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N 13373/17
17.2.25
NOTARY GOVT OF INDIA

i. Letter No. 1487/V.P./2024-25 dated 30.11.2024 was sent to the Manager, Pollution Control Board, Housing Development Bhawan, Varanasi.

ii. Letter No. 1668 dated 30.12.2024 was sent to the Block Development Officer, Niyamatabad, Chandauli.

iii. The Pollution Control Board, Varanasi, forwarded Letter No. 2161/NGTOA No. 367/2022/2024-25 dated 27.12.2024 to the Chief Environmental Officer, Krith-6, UP Pollution Control Board, Lucknow.

That as soon as the required NOCs are received, the work plan will be submitted for approval, and further action will be initiated accordingly.

A copy of letter dated 16.01.2025by the Varanasi Development Authority is marked and annexed herewith as **Annexure A**.

5. That in compliance of order dated 16.10.2024 Action Plan dated 05.02.2025 has been duly carried out and communicated to the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) via email dated 05-02-2025. A copy of the Action Plan Report is annexed herewith as**Annexure B**.

6. It is submitted that vide letter No. dated 20.01.2025 issued to Professor Vrind Kumar, IIT BHU, informed that with reference to the

उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

RamnagarAawasiyaYojna under Varanasi VikasPradhikaran, a colony was developed with approximately 405 buildings/plots, and a septic tank for sewer disposal was constructed. However, the Hon'ble Tribunal has raised concerns regarding water and air quality, as the sludge from the septic tank flows into the Ghurha drain, ultimately reaching the Ganga River.In compliance with the Hon'ble Tribunal's order, the authority has proposed the construction of soak pits to manage sewer disposal and prevent wastewater discharge into the river.

7. That vide the above mentioned letter the Answering Respondent requested Professor Vrind Kumar to **inspect** the site to assess the feasibility of the proposed soak pits, to conduct a **technical investigation** to determine whether constructing soak pits will comply with this Hon'ble Tribunal's order dated 04.11.2024, considering water and air quality standards and to provide a report at the earliest, confirming the suitability of the solution so that compliance with the order dated 04.11.2024 can be ensured without delay. That for reference, Soak pit design, water quality report, PCB report, and this Hon'ble Tribunal's order copy was sent as an attachment.

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N 13373/17
17-2-25
NOTARY GOVT OF INDIA

A copy of letter no. letter No. dated 20.01.2025 issued to Professor VrindKumar, IIT BHU is marked and annexed herewith as **Annexure C**.

8. That vide letter No. 2161/NGTOANO. 367/2022/2024-25 dated 27.12.2024 issued to the U.P. Pollution Board Control Board, the Answering Respondent reminded the UPPB regarding the letter no. 1487 V.P./Nirman/2024-25 dated 30.11.2024 wherein it was stated that Senior officials of Varanasi Development Authority inspected the sewer output in approximately 300 houses in RamnagarAawasiyaYojna, VDA Colony and it was observed that while a septic tank is already constructed, a functional soak pit has not been built, resulting in sewer water directly flowing into GurhaNala after treatment in the septic tank. Under the scheme, a soak pit has been proposed near the septic tank, and water samples from the septic tank were tested in an NABL-recognized laboratory. The results confirmed that COD and BOD levels were within the standard limits.That the proposed works will be carried out, but technical investigation is required to verify the effectiveness of the measures taken at the site. That it was again requested a technical and legal examination be conducted at the Board Headquarters, Lucknow and

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA
17-2-25

the assessment be carried out in the light of this Hon'ble Tribunal's order and relevant government guidelines.

A copy of letter dated 27.12.2024 is marked and attached herewith as **Annexure D**. A copy of letter dated 30.11.2024 is marked and annexed herewith as **Annexure E**.

9. That a no objection certificate vide letter(s) no. 1668/V.P./Nirman/2024-25 dated 30.12.2024 and 1486/V.P./nirman/2024-25 dated 30.11.2024 was issued to the Block Development Officer and Executive Officer, Municipality, Chandauli, respectively wherein it was requested to the authority to issue a NOC for working at the site in relation to the soak pit construction due to which the sewer water is flowing directly into GhurhaNala after the septic tank.

A copy of letter dated 30.12.2024 issued to BDO is marked and annexed herewith as **Annexure F**. A copy of letter dated 30.11.2024 issued to the Executive Officer is marked and annexed herewith as **Annexure G**.

10. That an inspection report of Ghurha drain in Chandauli district was conducted on 09.10.2024, in compliance with the instructions from the Swachh Bharat Mission (Rural), UP. Officials from various departments, including the State Consultant, District Panchayat Raj Officer, and

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N 13373/17
17-2-25
NOTARY GOVT OF INDIA

Pollution Control Board representatives, visited the site to assess the situation.

i. According to the Environment Department's report from 24.01.2024, the Ghurha drain starts from Sengar village in Patanwan Gram Panchayat. It was observed that no direct drainage from Sengar village was flowing into Ghurha drain. However, the drain passes through the industrial area of Ramnagar Phase-1, where wastewater from certain factories and a residential colony is being discharged into it. The Pollution Control Board collected water samples from multiple locations to analyze contamination levels.

ii. Inspections revealed that households in Patanwan and Hamidpur Gram Panchayats have septic tanks connected to leach pits, preventing domestic sewage from entering the drain. However, some factories in the area were found discharging wastewater into the drain. Additionally, residents reported that a factory releases red-colored water into the drain at night, while ink manufacturing units discharge black water occasionally.

iii. In Hamidpur Gram Panchayat, a local drain meant to dispose of domestic sewage was found blocked, causing wastewater to

उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

accumulate in a nearby low-lying area instead of reaching Ghurha drain. Under the Swachh Bharat Mission (Rural) Phase-2, an action plan has been prepared, including provisions for constructing toilets, leach pits, soak pits, and silt catchers to manage wastewater more effectively.

iv. A review meeting was held under the District Magistrate of Chandauli on the same day. Key decisions included seeking a stay order on an environmental compensation fine, requesting action from the Varanasi Development Authority regarding the sewerage system in the newly handed-over PDA colony, and coordinating with the government for sewage treatment near the drain's endpoint before it enters the Ganga River. The District Magistrate also urged securing funds from NamamiGange for necessary actions.

The report concludes that while domestic sewage from the rural population is not visibly entering Ghurha drain, industrial pollution and wastewater management issues persist. A re-investigation was recommended to verify the Pollution Control Board's findings.

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

A copy of inspection report dated 09.10.2024 is marked and annexed herewith as **Annexure H**. A copy of photographs taken during the visit is marked and annexed herewith as **Annexure I (Colly)**.

11. It is submitted that a review meeting was held in the meeting hall at Lok Bhawan on 22.10.2024 at 01:30 PM under the chairmanship of the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, to ensure compliance with the order dated 16.07.2024 passed by the National Green Tribunal (NGT), New Delhi, in OA No. 367/2022 (Rajendra Prasad Gupta vs. State of UP and Others). The compliances and initiative taken by the authorities is mentioned herein below as:

The Secretary, Department of Environment, Forest, and Climate Change, Government of Uttar Pradesh, informed that a compliance report had been submitted via affidavit regarding partially tapped or untapped drains and sewer connections. The review covered the following key points:

i. Assi/NagavaNala (Varanasi): UP Jal Nigam (Rural) reported that the drain carries 78 MLD of effluent, of which 50 MLD is treated at Ramna STP. A 55 MLD STP at Bhagwanpur is under construction and scheduled for completion by 06.12.2025. An interim Advanced Oxidation Process (AOP) is being used to treat the remaining 28

U K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

MLD. The Chairman directed regular progress updates on component-wise construction.

ii. Nakkha and SamneGhat Nala (Varanasi): The effluent in Nakkha drain is 5 MLD, with 2.5 MLD treated at Ramna STP. The remaining 2.5 MLD will be treated at the 55 MLD STP at Bhagwanpur. SamneGhat drain carries 1.17 MLD, currently treated at Ramna STP. The Chairman emphasized ensuring that the entire Nakkha drain effluent is directed to Ramna STP.

iii. Sayer Mata Mandir and Ghatawari Mata MandirNala: UP Jal Nigam (Rural) reported that these drains discharge 4.5 MLD of effluent. A 7 MLD STP in Sujabad under AMRUT 2.0 is under development, with work orders issued on 30.09.2024 for completion within 24 months. The Chairman stressed adherence to the timeline and regular progress reporting.

iv. GurhaNala: The drain carries 18 MLD of effluent, mainly from the VDA colony in Ramnagar industrial area. The Vice Chairman of Varanasi Development Authority will inspect the site to assess the need for a separate STP, septic tank, or soak pit and submit an action plan for sewage treatment.

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N 13373/17
17-2-25
NOTARY GOVT OF INDIA

v. Mace and Railway Station Drains: The effluent from these drains totals 31.47 MLD, with a proposed 45 MLD STP under consideration. The revised DPR has been sent to NMCG for approval, with a completion target of 30 months. The Chairman mandated timely execution and progress monitoring.

vi. Sewer Connections in Varanasi: Out of 414,809 identified houses, 156,300 have been connected to the sewer system, while 258,509 remain unconnected. The Urban Development Department was directed to inspect the remaining areas and prepare an action plan for complete sewer connectivity.

vii. Online Effluent Monitoring: The Environment, Forest, and Climate Change Department will regularly monitor the quantity of treated effluent at all STP outlets through the online continuous monitoring system. The Urban Finance Department will enforce regulations in this regard.

The meeting concluded with directives for all concerned departments to ensure compliance with NGT orders, submit progress reports, and adhere to prescribed deadlines.

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U K. Chaturvedi
N 13373/17
17 2 25
NOTARY GOVT OF INDIA

12

A copy of minutes of the review meeting dated 22.10.2024 is marked and annexed herewith as **Annexure J**.

12. Further, another Review meeting was held at Rifle Club on 19.11.2024 at 19:00 hours under the Chairmanship of District Magistrate, Varanasi in compliance with order(s) passed in variouscases related to NGT. The review meeting of the District Ganga Committee, Varanasi, was conducted to assess the implementation of orders issued by the Hon'ble National Green Tribunal (NGT), New Delhi. The compliances and initiative taken by the authorities is stated herein below as:

    i. The Project Manager of U.P. Jal Nigam (Rural), Varanasi, reported that 15 drains discharge into the Varuna River, with six fully tapped, eight partially tapped, and one untapped (AmbadDurga Gala). A 55 MLD STP DPR is pending approval by the National Clean Ganga Mission (NCGM), New Delhi. The Chairman directed the Project Director to send a reminder letter for approval.

    ii. Regarding the restoration of Varuna River and Asi Nala, the Executive Engineer of the Irrigation Department informed that a DPR worth Rs. 137.90 crore has been submitted to SMCG for

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

approval. The Chairman instructed an immediate follow-up for fund release.

iii. For effluent treatment from Assi/Nagaya Drain, 78 MLD of sewage is currently discharged into the Ganga, with 50 MLD treated at Ramna STP and 20 MLD remaining untreated. A 55 MLD STP at Bhagwanpur is expected to be completed by 06.12.2025. The Chairman emphasized timely completion.

iv. For Durga Gala effluent treatment, the 55 MLD STP DPR has been sent to NMCG for approval, with immediate follow-up required. Similarly, effluents from Nakkha and SamneGhat drains are to be connected to the 55 MLD STP at Bhagwanpur.

v. Sewage from Sayer Mata Mandir and Ghatwari Mata Mandir drains (4.5 MLD) will be treated at a 7 MLD STP in Sujabad under Amrit 20. Work orders were issued on 30.09.2024, with a 24-month timeline for completion.

vi. For water diversion in the floodplain zone, the Executive Engineer of the Irrigation Department was directed to consult NIH for progress updates.

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

vii. Regarding compliance with NGT Order (O.A. 367/2022 - Rajendra Prasad Gupta vs. U.P. State & Others), all concerned departments were instructed to ensure adherence and submit reports.

viii. It was discussed that, air quality in Varanasi remains moderate, requiring further improvement measures and proper disposal of construction and demolition waste is mandatory. Diesel boats should be converted to CNG, and biomass/garbage burning at ghats must be prevented. SMCG will be requested for skimmers to clear floating waste from the Ganga.

ix. The Ganga Task Force reported that 18,000 saplings were planted along Ganga banks. The Chairman directed the submission of a progress report.

x. For liquid waste management at the Ganga Basin level, an integrated action plan was discussed to be developed in collaboration with the Panchayati Raj Department and Pollution Control Board.

xi. Regular cleaning reports for the Ganga and Varuna rivers was directed to be submitted by the Municipal Corporation. A request was made to NCGM for skimmers to remove water hyacinths.

नोटरी, भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

xii. The Tourism Department was tasked with integrating the Ganga Utsav with the Dev Deepawali Festival and conducting public awareness campaigns.

A copy of minutes of review meeting dated 19.11.2024 is marked and annexed herewith as **Annexure K**.

13. In view of the submissions made, the Respondent No. 9states that the compliance of order dated 04.11.2024 of this Hon'ble Court is under progress.

14. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity based on and derived from the official records maintained by the Varanasi Development Authority in the official capacity and I state that nothing material has been concealed there from.

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U K. Chaturvedi
N 13373/17
17 2 25
NOTARY GOVT OF INDIA

DEPONENT

Regd. No. 11870/1999

VERIFICATION:

Verified at ___________ on this _______ day of February, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to ______ are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

Notary
Register
Affidavit
Sr N. 2669
दिनांक Date 17 2 25
स्थान
Uday Krishna
Notary Govt. of India
Civil Court Varanasi, U.P.
17 Feb 2025

ANNEXURE A

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।

पत्रांक – 1731 /वि0प्रा0/निर्माण/2024–25 दिनांकः 16/01/2025

प्रभारी अधिकारी (विधि)

1655/(विधि)
18-1-2025

कृपया स्वीकृय पत्र संख्या–1000/वि0प्रा0/विधि/2024–25 दिनांक 11.12.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें। पत्र में मा0 हरित न्यायधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0नं0 367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 04.11.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि रामनगर आवासीय योजनामें स्थित सैप्टिक टैंक की सफाई व नालियों की सफाई का कार्य करा दिया गया हैं तथा शोकपिट के निर्माण हेतु कार्ययोजना तैयार कर आगणन तैयार किया जा चुका हैं तथा शोकपिट के निर्माण से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति प्राप्त किये जाने हेतु प्रबन्धक, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड आवास विकास भवन, पीस प्वाईंट रोड, जवाहर नगर कालोनी भेलूपुर, वाराणसी को पत्र संख्या–1487/वि.प्रा./2024–25 दिनांक 30.11.2024 एवं खण्ड विकास अधिकारी नियमताबाद, चन्दौली को भी पत्र संख्या–1668/दिनांक 30.12.2024 प्रेषित किया गया। प्रेषित पत्र के सम्बन्ध में प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, वाराणसी द्वारा पत्र संख्या–2161/NGTOA No 367/2022/2024–25 दिनांक 27.12.2024 द्वारा मुख्य पर्यावरण अधिकारी कृत–6 उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड टीसी–12 बी विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को प्रेषित किया गया, जिसके सम्बन्ध में दोनों विभागों से अनापत्ति प्राप्त नही हो सकी है।

उपरोक्त कार्य हेतु विभागों से अनापत्यिां प्राप्त होते ही कार्य योजना को स्वीकृति हेतु अग्रसारित करते हुए अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अधीक्षण अभियन्ता

पत्रांक – /वि0प्रा0/निर्माण/2024–25 दिनांकः

प्रतिलिपि7 1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. सचिव महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. अपर सचिव महोदय को सूचनार्थ।

S/C | Shri Soomyabhan | Shri Ankit

18/1/25
(उ0अधि0विधि)

कृपया O.A– 367/2022
Rajendra Prasad Gupta
संदर्भित करें।
18.01.2025

अधीक्षण अभियन्ता

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N 13373/17
17-2-25
NOTARY GOVT OF INDIA

I:\Nirman R\BHAWAN\F.Y.-2023-24 & 24-25\AK TYAGI SIR je\Letter\Rajendra gupta VIDHI Section -16-1-25.docx

17

ANNEXURE B

Gmail

Nirman VDA <vdavns.nirman@gmail.com>

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.10.2024 के अनुपालन के संबंध में।

1 message

Nirman VDA <vdavns.nirman@gmail.com> Wed, Feb 5, 2025 at 7:31 PM
To: "sec.forestup@gmail.com" <sec.forestup@gmail.com>, "envsection7@gmail.com" <envsection7@gmail.com>, "ms@uppcb.in" <ms@uppcb.in>

Dear Sir / Madam,

Please find the attached file.

Regards
Varanasi Development Authority, Varanasi.

Report.pdf
288K

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA
17-2-25

Scanned with CamScanner

Action Plan in

Compliance of Hon'ble N.G.T. New delhi Order dated 16-10-2024 in OA No-367@2022 Rajendra prasad Gupta Vs State of U.P. & Others Varanasi

Sr. No.	Name of drain	Discharge (KLD)	Tapped/ partially Tapped/ Un Trapped	Final Dsposel (River)	Concerned department	Working Agency	Details Project & Budgetary allocation	Time line for completion	Interm Measures for Partially Tapped or Untapped drain	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ramnagar aawasiya yojna	40 KLD	Tapped	After construction of soak pit then will be final disposal in Soak pit only.	V.D.A	V.D.A	Detailed design of Proposed Soak pit to be provided by IIT BHU, department of civil Eng. Construction of Soak pit and cleaning of drain for tapping sewer discharge (Total amount of Budget 15 Lakhs for soak pit)	After receiving of NOC from pollution control board varanasi, Niyamatabad block and design, drawing from IIT BHU. It will take 03 month time for construction of Soak pit and will be done in according with order from honorable NGT to be insure adequate water and air quality.	We are constructing Soak pit Tapping the discharge that are coming out from septic tank, also we have re-Alignment and repair manhole so that the discharge come to the septic tank.	-

Rahul 05/02/25

05.02.25

5/2/25

उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA
भारत सरकार

19

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग, पन्ना लाल पार्क, वाराणसी–221002
फोनः 0542–2280326 ईमेल : vdavns.nirman@gmail.com

सेवा मे,

प्रोफेसर वृन्द कुमार
आई0आई0टी0 बी0एच0यू0
वाराणसी

पत्रांकः 1776 /वि०प्रा०/निर्माण/2024–25 दिनांकः 20/01/2025

विषयः **वाराणसी विकास प्राधिकरण की रामनगर आवासीय योजना के अन्तगर्त माननीय एन0जी0टी0 के आदेशो के क्रम में जल एवं वायुगुणवत्ता के दृष्टिगत योजना के सीवर डिसपोजल के लिए प्रस्तावित सोकपिट निर्माण हेतु तकनीकी जॉच कर अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण को भेजे जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

वाराणसी विकास प्राधिकरण की रामनगर आवासीय योजना के अन्तगर्त लगभग 405 भवनों/भूखण्डों हेतु कालोनी पूर्व में विकसित की गयी थी, जिसमें सीवर डिसपोजल हेतु सैप्टिक टैंक पूर्व से निर्मित है। जल एवं वायुगुणवत्ता के दृष्टिगत उक्त योजना में सैप्टिक टैंक का स्लज घुरहा नाले से बह कर गंगा नदी में प्रवाहित होने के कारण माननीय एन0जी0टी0 द्वारा आपत्ति की गयी है। तथा इसका तत्काल समाधान कर आवश्यक प्राविधान करते हुए सूचित किये जाने हेतु आदेशित किया गया है ताकि गन्दा पानी गंगा नदी में प्रवाहित न हो सके। माननीय एन0जी0टी0 के उपरोक्त आदेश के क्रम में सीवर डिसपोजल आदि हेतु प्राधिकरण द्वारा सोकपिट बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि स्थल निरिक्षण कर निरिक्षणोंपरान्त तकनीकी जॉच कर अवगत कराने का कष्ट करें कि क्या जल एवं वायुगुणवत्ता के दृष्टिगत सोकपिट का निर्माण कराये जाने से माननीय एन0ज0टी0 के कार्यादेश पूर्ण हो जायेंगे। अतः कृपया उपरोक्तानुसार प्राधिकरण को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में माननीय एन0जी0टी0 के आदेशों का अनुपालन कर सूचित किया जा सके।

संलग्नकः– 1. सोकपिट का डिजाइन
2. वॉटर क्वालिटी रिपोर्ट
3. डी0एम0 चंदौली/पी0सी0बी0 रिपोर्ट
4. एन0जी0टी0 ऑडर प्रति

भवदीय,

अधीक्षण अभियन्ता

पत्रांकः 1776 /वि०प्रा०/निर्माण/2024–25 दिनांकः 20/01/2025

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं अवलोकनार्थ प्रेषित।

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. सचिव महोदय को सूचनार्थ।
3. अधिशासी अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता

U.K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA
12-2-25

CA 18

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI

संदर्भ सं0/Ref.No. 2161/NGT OA No. 564/2022/2024-25 दिनांक/Date 27/12/2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6),
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी.सी.-12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषयः-रामनगर आवासीय योजना में ड्रेन मरम्मत एवं शोकपिट के निर्माण कार्य के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण के पत्रांक 1487/वि0प्रा0/निर्माण/2024-25 दिनांक 30.11.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि रामनगर आवासीय योजना, वी०डी०ए० कालोनी में निर्मित लगभग 300 घरों हेतु सीवर डिस्पोजल के सम्बन्ध में वा०वि० प्रा० के संम्बन्धित उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें स्पष्ट हुआ कि स्थल पर सेप्टिक टैंक बना हुआ है तथा कार्यशील अवस्था में है एवं शोकपिट का निर्माण नही हुआ है जिससे सेप्टिक टैंक के उपरान्त सीवर को पानी सीधे घुरहा नाला में प्रवाहित हो रहा है। योजनान्तर्गत सेप्टिक टैंक के पास शोकपिट का कार्य प्रस्तावित किया गया है तथा सेप्टिक टैंक के एफ्लुएंट का एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से प्राधिकरण द्वारा जांच करायी गयी है, जिसमें सी. ओ.डी. तथा बी.ओ.डी. की मात्रा मानक के अन्तर्गत पायी गयी।

उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के पश्चात् माननीय एन.जी.टी. के अनुपालन कार्यादेश पूर्ण हो जायेगें एवं प्रश्नगत स्थल पर कार्य करने हेतु वायु एवं जल गुणवत्ता के सम्बन्ध में आपके विभाग से तकनीकी जॉच अपेक्षित है।

अतः वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के पत्रांक 1487/वि0प्रा0/निर्माण/2024-25 दिनांक 30.11.2024 को संलग्नकर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त का तकनीकी/विधिक परीक्षण बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ स्तर से कराकर भवन निर्माण परियोजना में सीवेज निस्तारण के सम्बंध में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के आलोक में तथा शासनादेशों के आलोक में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी को उक्त सम्बंधी आवश्यक निर्देश दिये जाने की कृपा करें।

संलग्नकः-यथोपरि।

भवदीय,

(शशि विन्दकर)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0सं0 एवं दिनांकः-उपरोक्त।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
2. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

27/12/2024
क्षेत्रीय अधिकारी

उदय कुमार चतुर्वेदी U.K. Chaturvedi N 13373/17 NOTARY GOVT. OF INDIA

क्षेत्रीय कार्यालय : आवास विकास ऑफिस कॉम्प्लेक्स, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी-221010, दूरभाष : 0542-2275951, फैक्स : 0542-2275951
मुख्यालयः टी0सी0-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, दूरभाष : 0522-2720828, 2720381, 2720831, फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com वेबसाइट : www.uppcb.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्गवाराणसी, पन्ना लाल पार्क - 221002
फ़ोन 2280326-0542 :ईमेल - vdavaranasi@gmail.com

सेवा में,

प्रबन्धक
प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
आवास विकास भवन, पीस प्वाइंट रोड,
जवाहर नगर कालोनी, भेलूपुर, वाराणसी।

पत्रांक -- 1487/वि0प्रा0/निर्माण/2024-25 दिनांक: 30/11/2024

विषय- रामनगर आवासीय योजना में ड्रेन मरम्मत एवं शोकपिट के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि रामनगर आवासीय योजना, वी0डी0ए0 कालोनी में निर्मित लगभग 300 घरों हेतु सीवर डिस्पोजल के सम्बन्ध में वा0वि0प्रा0 के संम्बन्धित उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें स्पष्ट हुआ कि स्थल पर सेप्टिक टैंक बना हुआ है तथा कार्यशील अवस्था में है एवं शोकपिट का निर्माण नही हुआ है जिससे सेप्टिक टैंक के उपरान्त सीवर का पानी सीधे घुरहा नाला में प्रवाहित हो रहा है। योजनान्तर्गत सेप्टिक टैंक के पास शोकपिट का कार्य प्रस्तावित किया गया है तथा सेप्टिक टैंक के एफ्लुएंट का एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से प्राधिकरण द्वारा जांच करायी गयी है, जिसनें सी.ओ.डी. तथा बी.ओ.डी. की मात्रा मानक के अन्तर्गत पायी गयी। जांच रिपोर्ट एवं शोकपिट का डिजाइन इस पत्र के साथ संलग्न है। कृपया अवगत होने का कष्ट करें कि योजना में उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के पश्चात् माननीय NGT के अनुपालन कार्यादेश पूर्ण हो जायेगें एवं प्रश्नगत स्थल पर कार्य करने हेतु वायु एवं जल गुणवत्ता के सम्बन्ध में आपके विभाग से तकनीकी जॉच अपेक्षित है।

अतः तदक्रम में प्रश्नगत स्थल पर कार्य करने हेतु अपने स्तर से आवश्यक परीक्षण कराकर एक सप्ताह में अनापत्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय
(signature)
सचिव 29/11/24

पत्रांक -- 1487/वि0प्रा0/निर्माण/2024-25 दिनांक: 30/11/2024
प्रतिलिपि--

1. जिलाधिकारी, चन्दौली को सादर अवलोकनार्थ।
2. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. अधिशासी अभियन्ता को सूचनार्थ।
4. सहा.अभि./अवर अभि. को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(signature)
सचिव 29/11/24

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA
12-2-25

ANNEXURE F

22

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

राणा उदय प्रताप मार्गवाराणसी ,पन्ना लाल पार्क ,- 221002
फ़ोन 2280326-0542 :ईमेल - vdavaranasi@gmail.com

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी
नियमताबाद,
चंदौली।

पत्रांक – /वि0प्रा0/निर्माण/2024–25 दिनांकः

विषय– रामनगर आवासीय योजना में ड्रेन मरम्मत एवं शोकपिट के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि रामनगर आवासीय योजना, वी0डी0ए0 कालोनी में निर्मित लगभग 300 घरों हेतु सीवर डिस्पोजल के सम्बन्ध में वा0वि0प्रा0 के द्वारा उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें स्पष्ट हुआ कि स्थल पर सेप्टिक टैंक बना हुआ है तथा कार्यशील अवस्था में है एवं शोकपिट का निर्माण नही हुआ है जिससे सेप्टिक टैंक के उपरान्त सीवर का पानी सीधे घुरहा नाला में प्रवाहित हो रहा है। योजनान्तर्गत सेप्टिक टैंक के पास शोकपिट का कार्य प्रस्तावित किया गया है।

तदक्रम में प्रश्नगत स्थल पर कार्य करने हेतु अनापत्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

सचिव

पत्रांक – 1668/वि0प्रा0/निर्माण/2024–25 दिनांकः 30/12/2024

प्रतिलिपि–

1. जिलाधिकारी, चन्दौली को सादर अवलोकनार्थ।
2. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. अधीक्षण अभियन्ता को सूचनार्थ।
4. अधिशासी अभियन्ता को सूचनार्थ।
5. सहा.अभि./अवर अभि. को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U K. Chaturvedi
N 13373/17
12-2-25
NOTARY GOVT OF INDIA

सचिव 30/12/24

23

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी
राजा उदय प्रताप मार्गवाराणसी ,पन्ना लाल पार्क ,- 221002
फ़ोन 2280326-0542 :ईमेल - vdavaranasi@gmail.com

सेवा में,
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका,
चंदौली।

पत्रांक – 1486/वि०प्रा०/निर्माण/2024–25 दिनांक: 30/11/2024

विषय– रामनगर आवासीय योजना में ड्रेन मरम्मत एवं शोकपिट के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि रामनगर आवासीय योजना, वी०डी०ए० कालोनी में निर्मित लगभग 300 घरों हेतु सीवर डिस्पोजल के सम्बन्ध में वा०वि०प्रा० के द्वारा उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें स्पष्ट हुआ कि स्थल पर सेप्टिक टैंक बना हुआ है तथा कार्यशील अवस्था में है एवं शोकपिट का निर्माण नही हुआ है जिससे सेप्टिक टैंक के उपरान्त सीवर का पानी सीधे घुरहा नाला में प्रवाहित हो रहा है। योजनान्तर्गत सेप्टिक टैंक के पास शोकपिट का कार्य प्रस्तावित किया गया है।

तदक्रम में प्रश्नगत स्थल पर कार्य करने हेतु अनापत्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

सचिव 29/11/24

पत्रांक 1486 /वि०प्रा०/निर्माण/2024–25 दिनांक: 30/11/2024
प्रतिलिपि–

1. जिलाधिकारी, चन्दौली को सादर अवलोकनार्थ।
2. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. अधीक्षण अभियन्ता को सूचनार्थ।
4. अधिशासी अभियन्ता को सूचनार्थ।
5. सहा.अभि. / अवर अभि. को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U K. Chaturvedi
N 13373/17
17-2-25
NOTARY GOVT OF INDIA

सचिव 29/11/24

234

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण आर्डर नम्बर 367/2022 के प्रकरण में गंगा नदी में प्रवाहित घुरहा नाला में जनपद–चन्दौली के 02 ग्राम पंचायत पटनवां एवं हमीदपुर की निरीक्षण आख्याँ।

मिशन निदेशक, महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–5/1611/2024–5/56/2022 लखनऊ दिनांक 08.10.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 09.10.2024 को राज्य स्तर से श्री माहिम कुमार स्टेट कन्सलटेन्ट, जिला पंचायत राज अधिकारी श्री नीरज कुमार सिन्हा एवं जनपद स्तर पर तैनात जिला कन्सलटेन्ट श्री अखण्ड प्रताप सिंह द्वारा जनपद चन्दौली में घुरहा नाला जोकि ग्राम–जीवनाथपुर से प्रारम्भ होकर ग्राम पंचायत पटनवां एवं ग्राम पंचायत हमीदपुर का भ्रमण किया गया। मौके पर श्री मनोज कुमार सिंह सहायक विकास अधिकारी (पं0) विकास खण्ड नियामताबाद, ग्राम प्रधान पटनवां एवं हमीदपुर सचिव ग्राम पंचायत श्री आलोक कुमार मिश्रा, कन्सलटिंग इंजीनियर, खण्ड प्रेरक, रोजगार सेवक आदि उपस्थित रहें। भ्रमण के दौरान पायी गयी स्थिति निम्नवत् है :–

1. पर्यावरण विभाग की रिपोर्ट दिनांक 24.01.2024 के अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र में घुरहा नाला की शुरूआत पटनवां ग्राम पंचायत के सेंगर ग्राम से है। मौके पर यह देखा गया कि घुरहा नाला में सेंगर गॉव की कोई भी नाली प्रवाहित नही हो रही है। चूंकि उक्त घुरहा नाला गॉव की आबादी से लगभग 250 मीटर की दूरी पर स्थित है, अतएव सेंगर गॉव से किसी भी प्रकार का दूषित जल घुरहा नाला में प्रवाहित नही हो रहा है। यूपीपीसीबी वाराणसी द्वारा प्रथम सैम्पल (सैम्पल नम्बर–24543101) सेंगर गांव के बाद तथा औद्योगिक क्षेत्र रामनगर फेज–1 के मध्य से लिया गया था।
2. ग्राम पंचायत पटनवां का अधिकांश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र रामनगर फेज–1 यूपीसीडा (एस0आई0डी0सी0) के अन्तर्गत आता है। सेंगर गांव के पश्चात् घुरहा नाला इसी औद्योगिक क्षेत्र के मध्य से होते हुए ग्राम पंचायत हमीदपुर के किनारे से जनपद वाराणसी के नगरीय क्षेत्र की तरफ प्रवाहित हो रहा है। ग्राम पंचायत पटनवां के उक्त औद्योगिक क्षेत्र में एक आवासीय वी0डी0ए0 कालोनी स्थित है, जिसमें लगभग 290–300 घर है। इस कालोनी में भ्रमण के दौरान वहां निवास करने वाले श्री रत्नशंकर पाण्डेय मकान नम्बर L-3/3 जिनका मो0नं0 9452747678 एवं मुरलीधरन नायर जिनका मो0नं0–7007480376 है, द्वारा अवगत कराया गया कि वी0डी0ए0 कालोनी में ग्रे–वाटर के अतिरिक्त वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित करते समय सीवर की व्यवस्था की गयी थी। यह सीवर लगभग 4 फीट की गहराई से जाकर अन्त में घुरहा नाला में सीधे प्रवाहित हो रहा है। विगत 2–3 माह पूर्व ही यह कालोनी ग्राम पंचायत पटनवां को हैण्डओवर किया गया है।
3. जीवनाथपुर स्टेशन रोड से आने वाले एक नाले पर क्षेत्रीय प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड वाराणसी द्वारा ग्राम पंचायत पटनवां के पटनवां तिराहे पर पानी की जांच हेतु द्वितीय सैम्पल (सैम्पल नम्बर–24543106) लिया गया है। यह नाला पटनवां तिराहे से होते हुए उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्र के मध्ये से होकर घुरहा नाले में समाहित होता है। पटनवां तिराहे से पूर्व पटनवा गांव में ग्रामीण क्षेत्र के 94 परिवार निवास करते है। इन 94 परिवारों में शौचालय का निर्माण कराया गया है। रैण्डम आधार पर 15 घरों का निरीक्षण करने पर ये पाया गया कि इन घरों में निर्मित शौचालयों के सेप्टिक टैंक को लीच पिट से जोड़ा गया है। अतः किसी भी तरह के मल जल के नालियों में प्रवाहित होने की स्थिति नही पायी गयी। इसी आबादी की तरफ 10–12 कारखाने संचालित है, जिनमें से कतिपय कारखानों से निरन्तर वेस्ट वाटर डिस्चार्ज नालों में हो रहा है।
4. ग्राम पंचायत हमीदपुर से निकलने वाली नाली राजेन्द्र के घर के बगल से भींटी (वाराणसी) बार्डर तक एक नाली आती है, इस नाली में मेन रोड के पास भींटी रामनगर नगरीय क्षेत्र से एक बड़ा नाला प्रारम्भ में ही मिलता है ये नाला आगे जाकर भींटी क्षेत्र के पोखरे में समाप्त हो जाता है। पोखरा घुरहा नाला से नही जुड़ा है। पोखरे से घुरहा नाला लगभग 40 मीटर की दूरी पर है। बरसात के समय पर ही पोखरे का पानी घुरहा नाला में जाने की सम्भावना है। अतः ग्राम पंचायत हमीदपुर से डोमेस्टिक सीवरेज के घुरहा नाला में प्रवाहित होने की सम्भावना न के बराबर है। क्षेत्रीय प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड वाराणसी द्वारा तीसरे एवं चौथे सैम्पल (क्रमशः सैम्पल नम्बर–24543116 एवं 24543125) ग्राम पंचायत हमीदपुर के पास परन्तु नगरीय क्षेत्र रामनगर वाराणसी की तरफ से लिया गया है यह तथ्य क्षेत्रीय

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N 13373/
NOTARY GOVT OF INDIA
17-2-25

प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड वाराणसी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट संख्या–2108 दिनांक 24.01.2024 के साथ संलग्न फोटोग्राफ के अक्षांश एवं देशान्तर से भी सत्यापित होती है।

5. क्षेत्रीय प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड वाराणसी द्वारा प्रेषित की गयी रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत पटनवां हमीदपुर आदि से जनित घरेलू बहिस्राव प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से घुरहा नाले में मिलता है। सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम हमीदपुर से जनित घरेलू मल–जल लोकल ड्रेन से निस्तारित होता हुआ पाया गया किन्तु नाला के समीप उक्त लोकल ड्रेन को मिट्टी से बन्द किये जाने के कारण घुरहा नाले में निस्तारित नही हो रहा है। उक्त लोकल ड्रेन में प्रदूषित घरेलू मल–जल का अन्तिम निस्तारण नही होने के कारण आस–पास के लो–लैण्ड एरिया में भरा हुआ पाया गया। उक्त के निस्तारण हेतु अवगत कराना है कि ग्राम पंचायत पटनवां एवं हमीदपुर को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में चयनित किया गया है, जिसमें इन दोनों ही ग्राम पंचायतों की कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है तथा धनराशि का आवंटन भी किया जा चुका है। कार्ययोजना के अनुसार समस्त अवशेष शौचालय विहीन परिवारों को दो गढ्ढे वाले जलबन्द शौचालय से संतृप्त किया जाना प्रस्तावित है साथ ही पूर्व से निर्मित सेप्टिक टैंक वाले शौचालयों जिनमें सेप्टिक टैंक पर लीच पिट नही है, के लीच पिट का निर्माण नालियों पर यथावश्यक सामुदायिक सोक/लीच/मैजिक पिट का निर्माण यथावश्यक निश्चित दूरी पर सिल्ट कैचर का निर्माण एवं नाली/नालों पर ग्रामीण क्षेत्र के अन्तिम छोर पर फिल्टर चैम्बर आदि का प्राविधान किया गया है।

6. भ्रमण के दौरान स्थानीय निवासियों द्वारा यह तथ्य प्रकाश में लाया गया कि औद्योगिक क्षेत्र रामनगर फेज–1 में स्थित एस0ए0 आयरन कारखाने से प्रतिदिन रात्रि में लगभग 01 घण्टे तक रेड वाटर घुरहा नाला में प्रवाहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में 02 स्याही निर्माण की फैक्ट्री भी स्थित है, जिनसे भी समय–समय पर काला पानी नाले में निस्तारित किया जा रहा है।

अवगत कराना है कि जनपद–चन्दौली अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के निकट से प्रवाहित हो रहे घुरहा नाला का प्रारम्भिक बिन्दु से लेकर अन्तिम बिन्दु तक भ्रमण किया गया जिसमें पाया गया कि घुरहा नाले में सन्दर्भित ग्राम पंचायतों की ग्रामीण आबादी के डोमेस्टिक सीवरेज का निस्तारण प्रत्यक्ष रूप से कही भी नही है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड वाराणसी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के सापेक्ष पुनः जांच किया जाना उचित प्रतीत होता है साथ ही यह भी अनुरोध है कि जांच के दौरान पंचायती राज विभाग के जनपदीय टीम को साथ में लेकर ही जांच की प्रक्रिया पूर्ण करायी जाये।?

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, चन्दौली की अध्यक्षता में आज दिनांक–09.10.2024 को अपरान्ह 3.30 बजें से प्रकरण के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर, जल निगम नगरीय के अधिकारी/कर्मचारी, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी/कर्मचारी, जिला पंचायत राज अधिकारी के साथ आयोजित की गयी समीक्षा बैठक में प्रतिभाग करके जिलाधिकारी महोदय को आज के भ्रमण के दौरान पायी गयी स्थिति के सम्बन्ध में विस्तार से अवगत कराया गया। जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय, चन्दौली द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये।

1– क्षेत्रीय प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड, उ0प्र0 के पत्र सं0–एच12466 दिनांक–13.06.2024 में जिला पंचायत, चन्दौली को प्रकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही का उल्लेख किया गया है। परन्तु पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिये लगाये गये अर्थ दण्ड के लिये जिला पंचायत राज अधिकारी, चन्दौली को सन्दर्भित किया गया है जो कि एक भ्रामक स्थिति है। इस सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी, चन्दौली के पत्र सं0–48 दिनांक–04.04.2024 के द्वारा मुख्य पर्यावरण अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड लखनऊ को अवगत भी कराया गया है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा पुनः अनुस्मारक प्रेषित करते हुए इसके विरूद्ध स्टे आर्डर लिये जाने के निर्देश दिये गये।

2–औद्योगिक क्षेत्र रामनगर फेज–1 में स्थापित वी0डी0ए0 कालोनी का हैण्डओवर वी0डी0ए0 द्वारा ग्राम पंचायत को दो माह पूर्व किया गया है। परन्तु सीवरेज के टैपिंग की व्यवस्था न किये जाने के सम्बन्ध में वी0डी0ए0 के माध्यम से कार्यवाही कराये जाने के दृष्टिगत् पत्र प्रेषित करने के निर्देश जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये।

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

3–चूंकि धुरहा नाला जनपद चन्दौली की सीमा के उपरान्त लगभग 3.5 कि0मी0 जनपद वाराणसी से प्रवाहित होकर गंगा नदी में गिर रहा है, अतः इस नाले के दूषित जल के उपचार के लिए नाले के अन्तिम छोर के आस–पास जनपद वाराणसी में एस0टी0पी0 आदि के निर्माण के सम्बन्ध में पत्राचार करने के निर्देश दिये गये।

4– इसी क्रम में निदेशक, पंचायती राज को सम्बोधित जिलाधिकारी, चन्दौली के पत्र सं0–3953 दिनांक–19.02.2024 के द्वारा धनराशि की मांग के सम्बन्ध में महोदय द्वारा उक्त कार्य के लिये धनराशि की व्यवस्था नमामि गंगे के मद से कराकर जल निगम ग्रामीण के माध्यम से कार्यवाही किये जाने के लिए कहा गया।

अतः उपरोक्तानुसार निरीक्षण आख्या आपके सुलभ सन्दर्भ एवं अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः– भ्रमण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ

09/10/2024

09.10.24

(अखण्ड प्रताप सिंह)
जिला कन्सलटेन्ट
चन्दौली।

(शाहिम कुमार)
स्टेट कन्सलटेन्ट
लखनऊ।

(नीरज कुमार सिन्हा)
जिला पंचायत राज अधिकारी
चन्दौली।

कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, चन्दौली।

पत्रांक 2147/7–पं0रा0/एन0जी0टी0/2024–25 दिनांक– 09 अक्टूबर, 2024

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– रिजनल आफिसर, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, वाराणसी।
2– मुख्य पर्यावरण अधिकारी, लखनऊ उ0प्र0।
3– मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली।
4– जिलाधिकारी, चन्दौली।
5– मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0, लखनऊ।
6– निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ।
7– सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
8– अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

09.10.24

जिला पंचायत राज अधिकारी
चन्दौली।

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N 13373/17
17-2-23
NOTARY GOVT OF INDIA

ANNEXURE-I (COLLY)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण आर्डर नम्बर 367/2022 के प्रकरण में गंगा नदी में प्रवाहित घुरहा नाला में जनपद–चन्दौली के 02 ग्राम पंचायत पटनवां एवं हमीदपुर की निरीक्षण सम्बन्धी फोटोग्राफ

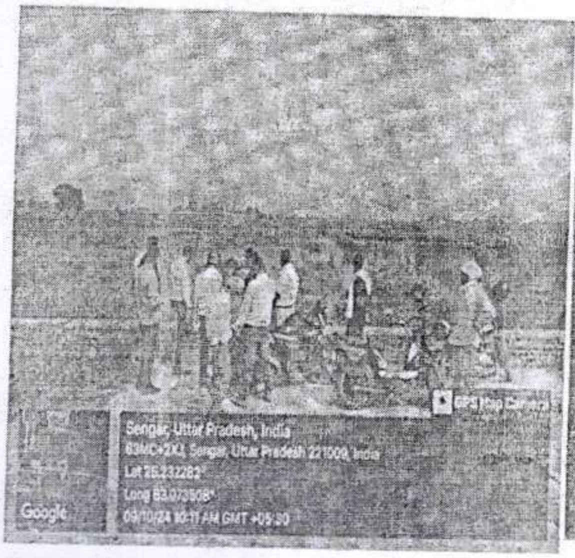

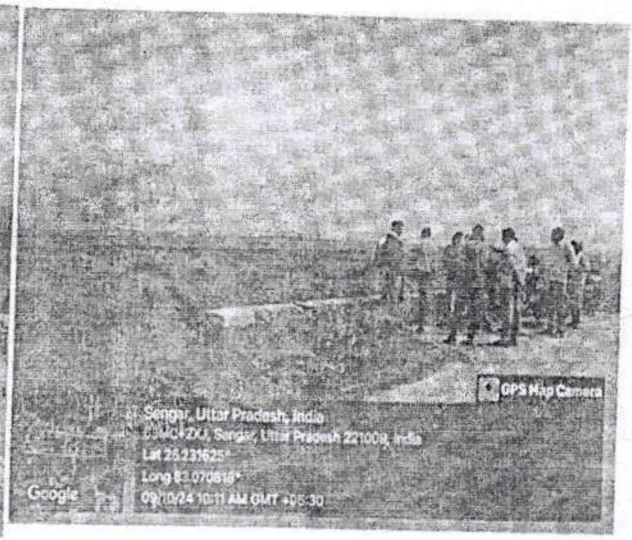

ग्राम पंचायत– पटनवां के राजस्द ग्राम– सेंगर की आबादी से 250 मी0 उत्तर दिशा की तरफ औद्योगिक क्षेत्र फेज–1 (रामनगर) से 3 कि0मी0 पूर्व

वी0डी0ए0 कालोनी औद्योगिक क्षेत्र फेज–1 (रामनगर) ग्राम पंचायत पटनवां

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

ग्राम पंचायत पटनवां से गत्ता फैक्टरी की तरफ

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA
17.2.25

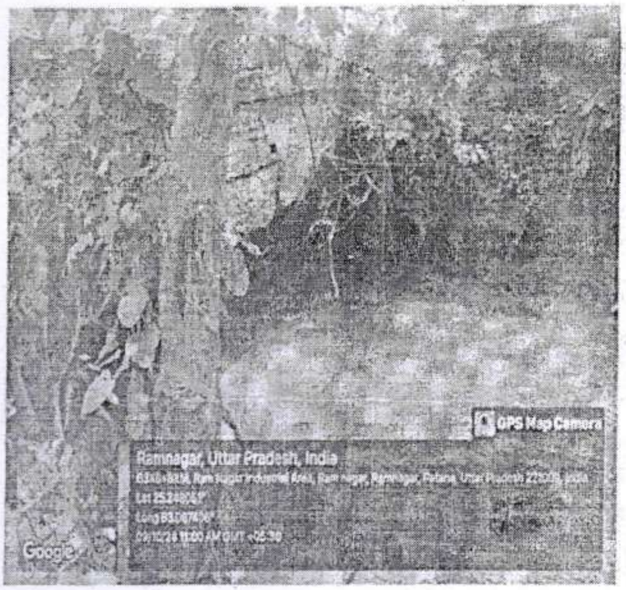

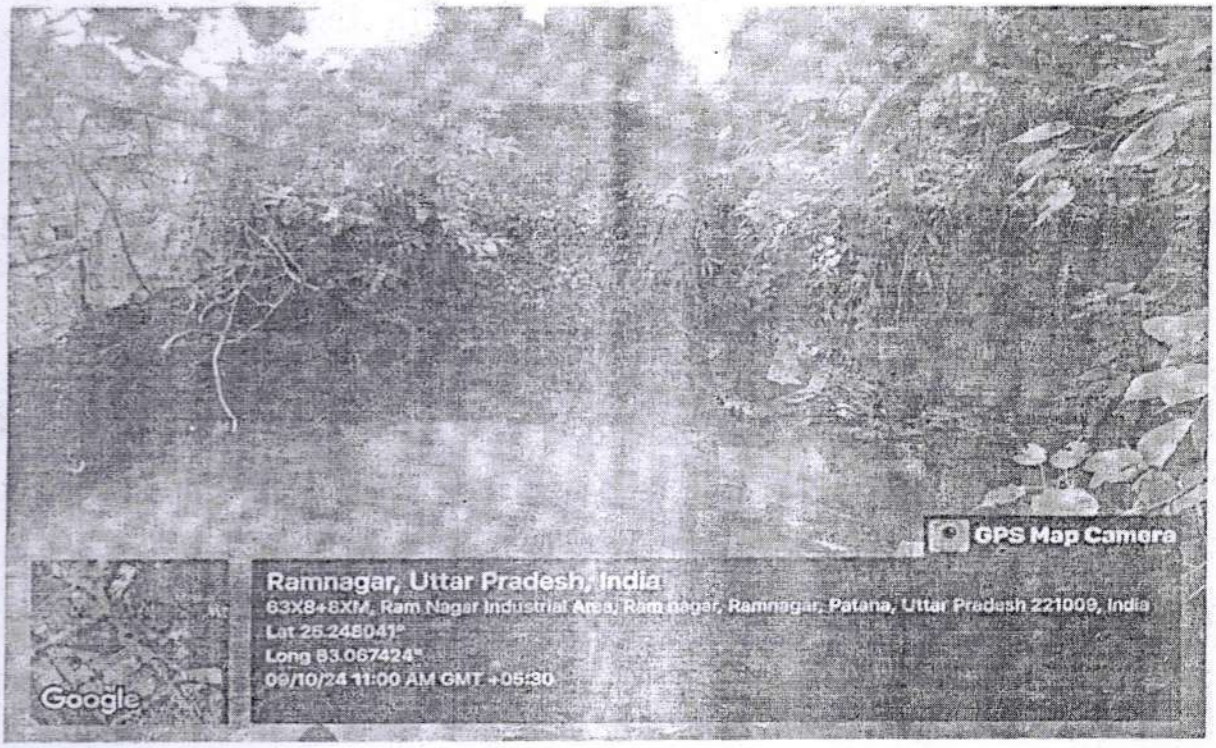

वी०डी०ए० कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र फेज–1 (रामनगर) से निकल रहा सीवेज जों घुरहा नाले में प्रवाहित हो रहा है।

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

30

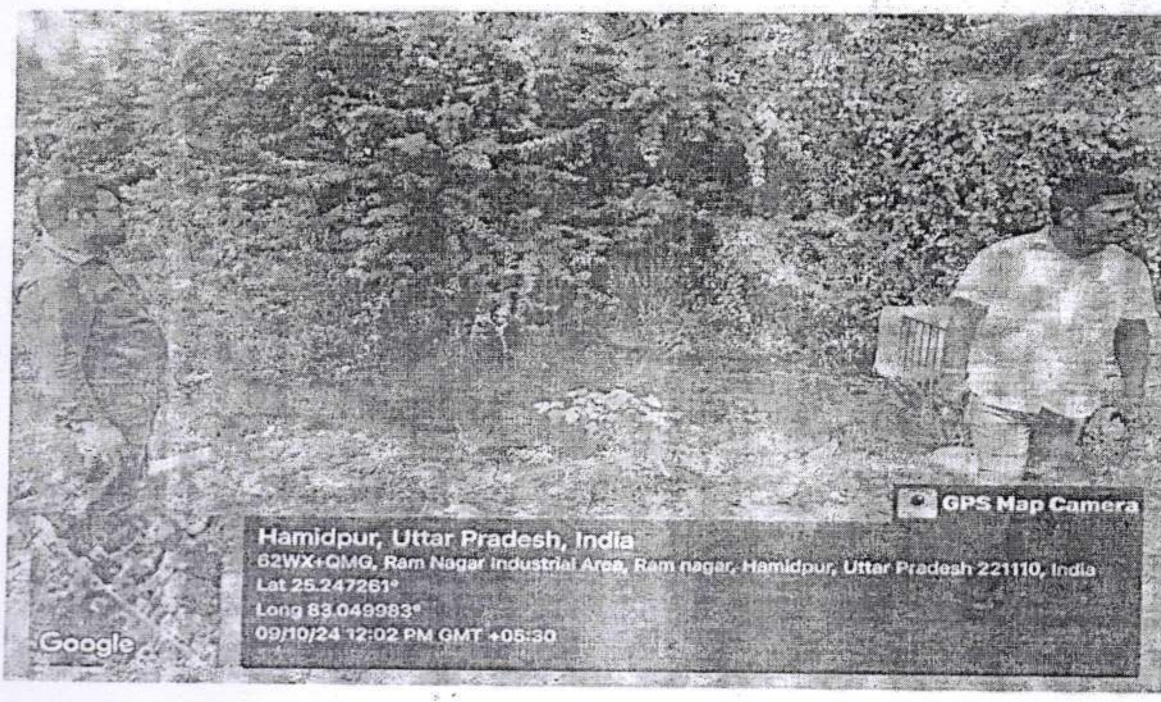

ग्राम पंचायत– हमीदपुर से निकलने वाली नाली राजेन्द्र के घर के बगल से भीटि बार्डर तक

निरीक्षण भ्रमण के दौरान बनाये गये वीडियोज के ऑनलाईन गुगल ड्राईव लिंक
https://drive.google.com/drive/folders/1_Tnhr6VYJfbUYPYC5hkHhNDNRk3uWueq

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA
17-2-25

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.07.2024 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ०प्र० की अध्यक्षता में दिनांक 22.10.2024 को अपरान्ह 01:30 बजे लोक भवन स्थित सभाकक्ष में सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.07.2024 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 22.10.2024 को अपरान्ह 01:30 बजे लोक भवन स्थित सभाकक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

2- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.07.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

"......13. *Let notice be served upon the above newly added respondent for filling the report in respect of the compliance of the directions of the Hon'ble Supreme Court as noted above. Let this report be filed at least one week before the next date of hearing by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.*

16. List on 16.10.2024 ....."

3- बैठक में सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा अवगत कराया गया कि मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्तानुसार संदर्भित ओ०ए० में पारित आदेश दिनांक 16.07.2024 के अनुपालन में अनुपालन आख्या शपथ-पत्र के माध्यम से दाखिल की गयी है। उक्त अनुपालन आख्या में संदर्भित ओ०ए० के अन्तर्गत आच्छादित आंशिक रूप से टैप्ड अथवा अनटैप्ड नालों, सीवर कनेक्शन आदि की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में निम्नवत् बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी:-

1. जनपद-वाराणसी स्थित अस्सी/नगवा नाला:-

उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि अस्सी/नगवा नाले में बहिश्राव की मात्रा लगभग 78 एमएलडी है तथा वर्तमान में 50 एमएलडी सीवेज उत्प्रवाह शोधन हेतु रमना स्थित 50 एमएलडी एसटीपी में प्रेषित किया जा रहा है तथा शेष 28 एमएलडी सीवेज उत्प्रवाह का शोधन हेतु भगवानपुर में निर्माणाधीन 55 एमएलडी एसटीपी प्रस्तावित है एवं उक्त कार्य की समयसीमा दिनांक 06.12.2025 तक निर्धारित है। वर्तमान में अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत 28 एमएमडी सीवेज उत्प्रवाह के शोधन हेतु Advance Oxidation Process (AOP) स्थापित की गयी है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि शेष 28 एमएलडी सीवेज उत्प्रवाह का शोधन

U.K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

हेतु भगवानपुर में निर्माणाधीन 55 एमएलडी एसटीपी दिनांक 06.12.2025 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा निर्माण कार्य की घटक वार प्रगति से सूचित किया जाय।

(कार्यवाही - नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/उ0प्र0 जल निगम (नगरीय/ग्रामीण))

2. जनपद-वाराणसी स्थित नख्खा एवं सामने घाट नाला:-

उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि नख्खा नाले में बहिश्राव की मात्रा लगभग 05 एमएलडी है तथा वर्तमान में 2.5 एमएलडी सीवेज उत्प्रवाह शोधन हेतु रमना स्थित 50 एमएलडी एसटीपी में प्रेषित किया जा रहा है तथा शेष 2.5 एमएलडी सीवेज उत्प्रवाह का शोधन हेतु भगवानपुर में निर्माणाधीन 55 एमएलडी एसटीपी प्रस्तावित है एवं उक्त कार्य की समयसीमा दिनांक 06.12.2025 तक निर्धारित है। सामने घाट नाले में बहिश्राव की मात्रा लगभग 1.17 एमएलडी है, जो शोधन हेतु रमना स्थित 50 एमएलडी एसटीपी में प्रेषित किया जा रहा है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि नख्खा नाले के पूर्ण बहिश्राव को टैप्ड कर शोधन हेतु रमना स्थित 50 एमएलडी एसटीपी में प्रेषित किया जाय।

(कार्यवाही - नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/उ0प्र0 जल निगम (नगरीय/ग्रामीण))

3. सायर माता मन्दिर एवं घटावरी माता मन्दिर नाला:-

उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सायर माता मन्दिर एवं घटावरी माता मन्दिर नाले में बहिश्राव की मात्रा लगभग 4.5 एमएलडी है, जिसके शोधन हेतु अमृत 2.0 अन्तर्गत सूजाबाद में 07 एमएलडी क्षमता का एसटीपी प्रस्तावित है तथा उक्त एसटीपी हेतु कार्य आदेश दिनांक 30.09.2024 को निर्गत किये जा चुके हैं एवं उक्त कार्य की समयसीमा 24 माह निर्धारित है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि उक्त नालों के बहिश्राव के शोधन हेतु प्रस्तावित 07 एमएलडी एसटीपी का समस्त कार्य 24 माह में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा निर्माण कार्य की घटक वार प्रगति से सूचित किया जाय।

(कार्यवाही - नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/उ0प्र0 जल निगम (नगरीय/ग्रामीण))

4. घुरहा नाला:-

पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि घुरहा नाले में बहिश्राव की मात्रा लगभग 18 एमएलडी है। जिला पंचायत, चन्दौली के अन्तर्गत आच्छादित ग्राम-पटनवा एवं ग्राम-हामिदपुर से उत्प्रवाह घुरहा

भारत सरकार
U.K. Chaturvedi
NOTARY GOVT OF INDIA

17 02 25

33

नाले में निस्तारित नहीं होता है तथा औद्योगिक क्षेत्र, राम नगर स्थित वीडीए कालोनी से जनित सीवेज उत्प्रवाह धुरहा नाले में निस्तारित होता है। उक्त वीडीए कॉलोनी में लगभग 300 से 400 फ्लैट एवं 30 से 40 मकान स्थित हैं। अतः धुरहा नाले हेतु कार्यवाही वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा किया जाना है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि उक्त वीडीए कालोनी में सीवेज के उपचार हेतु उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण स्वयं स्थल निरीक्षण कर वांछित कार्यवाही यथाः सेप्टिक टैंक/सोकपिट अथवा स्वतंत्र टावर हेतु पृथक रूप से एसटीपी के निर्माण आदि की आवश्यकता का आकलन कर सूचित करेंगे तथा तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही की समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही - उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी)

5. गंदा एवं रेलवे नालाः-

उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि गंदा नाले में बहिश्राव की मात्रा 9.19 एमएलडी एवं रेलव नाले में बहिश्राव की मात्रा लगभग 22.28 एमएलडी है, जिनके शोधन हेतु 45 एमएलडी क्षमता का एसटीपी प्रस्तावित है तथा उक्त एसटीपी हेतु संशोधित डीपीआर स्वीकृति हेतु एनएमसीजी को प्रेषित की गयी है एवं उक्त कार्य की समयसीमा 30 माह निर्धारित है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि उक्त नालों के बहिश्राव के शोधन हेतु प्रस्तावित 45 एमएलडी एसटीपी का समस्त कार्य 30 माह में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा निर्माण कार्य की घटक वार प्रगति से सूचित किया जाय।

(कार्यवाही – नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय/ग्रामीण))

6. जनपद-वाराणसी में घरों के सीवर कनेक्शनः-

नगर विकास विभाग, उ0प्र0 के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद-वाराणसी को सिस, ट्रान्स एवं एक्सटेंडेड ड क्षेत्र में विभाजित किया गया है, जिनमें सीवर संयोजन हेतु 414809 घर चिन्हित किये गये हैं। उक्त चिन्हित किये गये घरों में से 156300 घरों का सीवर संयोजन कर दिया गया है तथा शेष 258509 घरों का सीवर संयोजन किया जाना है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि समस्त घरों के सीवर को संयोजित किये जाने हेतु समस्त सम्बन्धित के साथ स्थल निरीक्षण करते हुये सीवर कनेक्शन हेतु कार्ययोजना बनाकर अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जाय।

(कार्यवाही - नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय/ग्रामीण)/जिला प्रशासन, वाराणसी)

उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA
17-2-25

4- बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जनपद-वाराणसी स्थित समस्त एसटीपी के आउटलेट पर स्थापित आन लाइन कन्टीन्यूअस मानिटरिंग सिस्टम में शुद्धिकृत उत्प्रवाह हेतु प्राप्त हो रहे प्रचालकों की मात्रा का अनुश्रवण कार्य नियमित रूप से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया जाय तथा उक्त कार्य में नगर विकास विभाग द्वारा अपेक्षित सहयोग किया जाय।

(कार्यवाही- नगर विकास/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ)

अन्त में सभी उपस्थित अधिकारियों को धन्यवाद व्यक्त करते हुये बैठक समाप्त की गयी।

Signed by
(Manoj Kumar Singh
Date: 30-10-2024 10:38:43

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7

संख्या-एन0जी0टी0-615/81-7-2024

लखनऊ: दिनांक: ३० / १० /2024

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/नगर विकास/पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, कानपुर।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय/ग्रामीण), लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, वाराणसी।
5- नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
6- उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
7- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
सचिव।

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

35

(NGT)

1697/HE
13/12/24

जिला गंगा समिति, वाराणसी की बैठक में मा0 एन0जी0टी0 से सम्बंधित विभिन्न वादों में पारित आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी की अध्यक्षता में दिनांक 19.11.2024 को सायं 7.00 बजे रायफल क्लब में सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न वादों में पारित आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी समीक्षा की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

1- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ई0ए0 नं0 28/2024 विद ओ0ए0 नं0 128/2021 सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अदर्स में पारित आदेश दिनांक 23.11.2021 के अनुपालन में अध्यक्ष महोदय द्वारा कहाँ गया कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उक्त ओ0ए0 में पारित आदेश के अनुपालन में निष्पादन समिति (Execution Committee) की बैठक प्रति माह आयोजित की जाती है। बैठक का कार्यवृत्त सम्बंधित कार्यदायी संस्थाओं/विभागों को अनुपालन हेतु प्रेषित किया जाता है साथ ही बैठक का कार्यवृत्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, वाराणसी को जिलाधिकारी, वाराणसी एवं आयुक्त, वाराणसी मण्डल वाराणसी से सम्बंधित वेबसाईट https://varanasi.nic.in/ जो सार्वजनिक जानकारी और भागीदारी को सक्षम करता है, पर अपलोड किया जा रहा है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.11.2021 के अनुपालन में निष्पादन समिति (Execution Committee) की बैठक दिनांक 23.10.2024, 18.09.2024, 02.08.2024, 29.02.2024, 29.01.2024, 23.12.2023, 28.10.2023, 28.08.2023, 12.07.2023, 01.07.2023, 30.06.2023, 14.05.2023, 29.03.2023, 09.02.2023, 26.12.2022, 15,12,2022, 01.11.2022, 29.09.2022, 23.08.2022, 26.07.2022, 28.06.2022, 27.05.2022, 28.03.2022, 20.02.2022 एवं 11.02.2022 को आयोजित की गयी है। अगामी जिला पर्यावरण समिति की बैठक में निष्पादन समिति (Execution Committee) की बैठक को करा लिया जाये तथा कार्यवृत्त भी अपलोड कराया जाये।

2- अध्यक्ष महोदय द्वारा वरुणा नदी गिरने वाले नालों की जानकारी चाही गयी। बैठक में उपस्थित परियोजना प्रबंधक, यू0पी0 जल निगम (ग्रामीण), भगवानपुर, वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि वरूणा नदी में वर्तमान में कुल 15 नाले गिर रहे हैं। उक्त नालों में 06 अदद नालें पूर्णतया टैप्ड हैं। 08 अदद नाले पार्शियली टैप्ड हैं एवं एक अदद दुर्गा नाला अनटैप्ड है। अनटैप्ड नाले के सम्बंध में परियोजना प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि 55 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 प्रस्तावित है। उक्त एस0टी0पी0 का डी0पी0आर0 तैयार कर स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है, जो प्रकियाधीन है। उक्त से अवगत होने के उपरांत अध्यक्ष

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

महोदय द्वारा अनुस्मारक पत्र प्रेषित किये जाने हेतु परियोजना निदेशक को निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही–उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण/नगरीय), वाराणसी /सिंचाई विभाग, बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी/जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी)।

अग्रेतर परियोजना प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि वरूणा नदी में गिरने वाले शेष नाले जो पार्शियली टैप्ड हैं, उसके क्रियाशील रहने के सम्बंध में मुख्य सचिव महोदय, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 28.02.2024, 09.04.2024 एवं 22.10.2024 को बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभागवार जिम्मेदारी दी गयी है, जिसमें सिंचाई विभाग बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी, यू0पी0पी0सी0एल0, नगर निगम, वाराणसी, आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी को क्या–क्या कार्य किया जाना है के सम्बंध में विस्तृत निर्णय लिए गये हैं, जिसके कार्यवृत्त संलग्नक–1 पर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सम्बंधित विभाग अपने प्रशासनिक विभाग से सम्पर्क कर तत्काल निर्देशों का अनुपालन कराये, इस सम्बंध में भी अधोहस्ताक्षरी को वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए अनुपालन आख्या मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन को भी अवगत कराये।

(कार्यवाही– सिंचाई विभाग बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी, यू0पी0पी0सी0एल0, नगर निगम, वाराणसी)

3. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि वरूण नदी एवं असि नाला की बहाली एवं कायाकल्प के सम्बंध में सी0ई0एम0डी0ई0 द्वारा रू0 137.90 करोड़ का डी0पी0आर0 तैयार किया गया है, जो बजट स्वीकृति हेतु एस0एम0सी0जी0 को भेजा गया है। इस सम्बंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि अधोहस्ताक्षरी के स्तर से एक रिमाइण्टर पत्र तत्काल बजट रिलीज करने के लिए भेजा जाये, जिससे कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.11.2021 के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही की जा सके तथा सी0डब्ल्यू0एस0 निर्माण इत्यादि का कार्य कराया जा सके।

(कार्यवाही– सिंचाई विभाग बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी, यू0पी0पी0सी0एल0, नगर निगम, वाराणसी)

4. अध्यक्ष महोदय द्वारा अस्सी/नगवा नाले के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे बहिश्राव शुद्धीकरण के सम्बंध में चर्चा की गयी, जिस पर उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि अस्सी/नगवा नाले में बहिश्राव की मात्रा लगभग 78 एमएलडी है तथा वर्तमान में 50 एमएलडी सीवेज उत्प्रवाह शोधन हेतु रमना स्थित 50 एमएलडी एसटीपी में प्रेषित किया जा रहा है तथा शेष 28 एमएलडी सीवेज उत्प्रवाह का शोधन हेतु भगवानपुर में निर्माणाधीन 55.00 एमएलडी एसटीपी का निर्माण कार्य की समयसीमा दिनांक 06.12.2025 तक निर्धारित है। वर्तमान में उक्त ड्रेन आंशिक

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N 13373/17
17-7-25
NOTARY GOVT OF INDIA

टैप्ड है तथा अतिरिक्त सीवेज गंगा नदी में निस्तारित होता है। अतिरिक्त सीवेज के शुद्धीकरण हेतु एडवांस आक्सीडेशन प्रोसेस की व्यवस्था की गयी है।

(कार्यवाही–उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी)

5. अध्यक्ष महोदय द्वारा दुर्गा नाले के माध्यम से निस्तारित हो रहे बहिश्राव शुद्धीकरण के सम्बंध में चर्चा की गयी जिस पर उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि 55.00 एमएलडी एसटीपी प्रस्तावित है। उक्त का डी0पी0आर0 बनाकर एन0एम0सी0जी0 प्रेषित किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। उक्त के सम्बंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त परियोजना पर त्वरित कार्यवाही कराई जाये तथा अधोहस्ताक्षरी के स्तर से भी अनुस्मारक पत्र प्रेषित कराया जाये।

(कार्यवाही–उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी)

6. अध्यक्ष महोदय द्वारा नख्खा एवं सामने घाट नाला के माध्यम से सीधे गंगा नदी में निस्तारित हो रहे बहिश्राव शुद्धीकरण के सम्बंध में चर्चा की गयी जिस पर उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि नख्खा नाला एवं सामनें घाट नाला के बहिस्राव को भगवानपुर में निर्माणाधीन 55 एमएलडी से जोड़ जायेगा।

(कार्यवाही–उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी)

6. अध्यक्ष महोदय द्वारा सायर माता मन्दिर एवं घाटवारी माता मन्दिर नाला के माध्यम से निस्तारित हो रहे बहिश्राव शुद्धीकरण के सम्बंध में चर्चा की गयी जिसपर उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण एवं नगरीय) द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में सायर माता मन्दिर एवं घटावरी माता मन्दिर नाले में बहिश्राव की मात्रा लगभग 4.5 एमएलडी है, जिसके शोधन हेतु अमृत 2.0 अन्तर्गत सूजाबाद में 07 एमएलडी क्षमता का एसटीपी प्रस्तावित है तथा उक्त एसटीपी हेतु कार्य आदेश दिनांक 30.09.2024 को निर्गत किये जा चुके हैं एवं उक्त कार्य की समयसीमा 24 माह निर्धारित है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी एवं उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण/नगरीय) अद्यतन प्रगति से आगामी बैठकों में अवगत कराया जायें।

(कार्यवाही–उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण/नगरीय), वाराणसी/ जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी)

7. अध्यक्ष महोदय द्वारा वरूणा नदी एवं असि/नगवॉं नाला के फ्लड प्लेन जोन का पिलर डिमार्केशन हेतु अधिशासी अभियंता, बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी को निर्देशित किया गया कि एन0आई0एच0 से सम्पर्क कर कार्य प्रगति के सम्बंध में अवगत कराया जाये साथ ही

(कार्यवाही– अधिशासी अभियंता, बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी)

8. अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.10.2024 में विभिन्न विभागों को दिये गये निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन विभागवार

NOTARY GOVT OF INDIA
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N 13373/17
17-2-25

सुनिश्चित किया जाये। वरूणा नदी एवं गंगा नदी में गिर रहे नालों पर लगाये गये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पर चर्चा की गयी, जिस पर नगर निगम, वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ओ0ए0 में पारित आदेशानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को शासन स्तर से बजट से काटकर जमा किया जाना निर्देशित है।

(कार्यवाही— नगर निगम, वाराणसी/अधिशासी अभियंता, बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी/वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी/जल निगम (ग्रामीण/नगरीय))

9. अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि मा0 एन0जी0टी0 ओ0ए0 सं0 483/2022 आशीष कुमार मिश्रा बनाम उ0 प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.08.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सिंचाई विभाग द्वारा फ्लड प्लेन डिमार्केशन एन.आई.एच. द्वारा समयबद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु प्रगति से समय-समय पर सूचित किया जाये तथा फ्लड प्लेन के अन्तर्गत निर्माणों के ध्वस्तिकरण हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी एवं नगर निगम द्वारा ड्रोन सर्वे कराकर डिमोलिशन सम्बंधी कार्यवाही नियमानुसार कराई जाये।

(कार्यवाही— नगर निगम, वाराणसी/अधिशासी अभियंता, बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी/वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी/जल निगम (ग्रामीण/नगरीय))

10. शहर की एक्यूआई मॉडरेट है। इस सम्बंध में नगर निगम द्वारा नॉन अटेन्मेट सिटी हेतु बनाये गये एक्शन प्लान के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये। पराली प्रबंधन हेतु कृषि विभाग द्वारा शासन के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। कन्स्ट्रशन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट को सी0 एण्ड डी0 साईट पर निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये। डीजल चलित नॉव को भी सी0एन0जी0 में परिवर्तित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये। सी0एन0जी0 नेटवर्क को बढ़ाया जाये। बायोमास/कूड़ा दहन की रोक-थाम हेतु नगर निगम द्वारा जोनवार निगरानी की जाये। घाटों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा घाटों पर दीपक इत्यादि जलाये जाने पर जनित वेस्ट का समुचित निस्तारण सी0एण्डडी0 साईट पर कराया जाये। गंगा नदी में फ्लोटिंग मटेरियल की सफाई हेतु स्कीमर वाली बोट के लिए एस0एम0सी0जी0 को पत्र प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही— नगर निगम, वाराणसी/अधिशासी अभियंता, बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी/वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी/जल निगम (ग्रामीण/नगरीय)/कृषि विभाग, वाराणसी/जिला आपूर्ति विभाग, वाराणसी)

11 गंगा टास्क फॉर्स वाराणसी द्वारा बैठक में अवगत कराया गया की गंगा किनारे स्थित गंगा ग्रामो में इस वर्ष कुल 18000 पौधे लगाए गए है , इस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्बंधित रिपोर्ट समिति में समक्ष प्रेषित करने हेतु गंगा टास्क फॉर्स वाराणसी को निर्देशित किया ।

(कार्यवाही— गंगा टास्क फॉर्स वाराणसी)

उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

12 अध्यक्ष महोदय द्वारा सॉलिड लिक्विड कूड़ा मैनेजमेंट हेतु गंगा ग्राम स्तर पर कार्य योजना बनायीं जाए साथ ही पंचायती राज विभाग वाराणसी , उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड वाराणसी , जल निगम वाराणसी की सहभागिता के साथ कार्य योजना के नियमित रूप से अमल में लाया जाए ताकि ग्राम स्तर स्तर से निकल रहे कूड़े सीधे गंगा नदी में जाने से रोका जा सके ।
(कार्यवाही– जल निगम (ग्रामीण / नगरीय / पंचायती राज विभाग वाराणसी / उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड वाराणसी)

13 अध्यक्ष महोदय द्वारा गंगा एवं वरुणा नदी की साफ सफाई नियमित रूप से करते हुए सम्बंधित रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु नगर निगम वाराणसी को निर्देशित किया साथ ही नगर निगम वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया की वरुणा नदी में जल कुम्भी निस्तारण करने हेतु स्किम्मर की आवश्यकता है , इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा नगर निगम वाराणसी को निर्देशित किया गया की राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली से मांग पत्र के माध्यम से स्किम्मर की अपेक्षा जल से जल्द रखी जाए।
(कार्यवाही– नगर निगम, वाराणसी)

14 अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया की प्रतिवर्ष जनपद वाराणसी में पर्यटन विभाग द्वारा देव दीपावली महोत्सव वृहद स्तर पर मनाया जाता रहा है जिसमे भारी मात्रा में लोगों की प्रतिभागिता होती रही है , आगामी गंगा उत्सव कार्कम को पर्यटन विभाग द्वारा मनाये जा रहे देव दीपावली महोत्सव के साथ ही मनाया जाए जिससे की गंगा नदी के प्रति जनजागरूकता कार्यक्रम के प्रति बड़े स्तर पर लोगों को लामबंध किया जा सके।

(कार्यवाही– पर्यटन विभाग वाराणसी , राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली , राज्य स्वच्छ गंगा मिशन लखनऊ)

10/12/24

प्रभागीय वनाधिकारी / सदस्य सचिव जिला गंगा समिति , वाराणसी	मुख्य विकास अधिकारी / नोडल अधिकारी जिला गंगा समिति , वाराणसी	जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला गंगा समिति,वाराणसी

भारत सरकार
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA
12-2-25

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 367 of 2022

IN THE MATTER OF:

Rajendra Prasad Gupta ...Applicant

Versus

State of U.P. and Ors. ...Respondents

VAKALATNAMA

KNOW ALL to whom these presents shall come that I, Kushal Raj Sharma, Commissioner, Varanasi Development Authorty Respondent in the captioned matter do hereby appoint **Mr. Malak Bhatt (G/460/2011), Advocate, having office at: C-7, Ground Floor, Nizamuddin East, New Delhi-110013** hereinafter called the Advocate to be our Advocate in the above noted case and authorize them:

To act, appear and plead in the above noted case in this court in any other court in which the same may be tried or heard and also in the appellate courts.
To sign, file, verify and present pleading, applications, appeals, cross-objections or petitions for execution, review, revision, withdrawal, compromise or other petition, replies, objections affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages.
To file and take back documents.
To withdraw, or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case.
To take out execution proceedings.
To deposit, draw and receive moneys, cheques and grant receipts therefor and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution of the said case.
To appoint and instruct any other Legal Practitioner authorizing him to exercise the powers and authorities hereby conferred upon the Advocate whenever he may think fit to do so and to sign the power of attorney on my/our behalf.
And I/we the undersigned do hereby agree to ratify and confirm acts done by the Advocate or his substitute in the matter my/our own acts as if done by me/us to all intents and purposes.
And I/we undertake that I/we or my/our authorised agent would appear in the court on all hearings and will inform the Advocate for appearance when the case is called.
And I/we the undersigned do hereby agree not to hold the Advocate or his substitute responsible for the result of the said case in consequence of his absence from the court when the said case is called up for hearing, or for any negligence of the said Advocate or his substitute.
And I/we the undersigned do hereby agree that in the event of the whole or any part of the fee agreed by me/us to be paid to the Advocate remaining unpaid, he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. If any costs are allowed for an adjournment, the Advocate would be entitled to the same.

IN WITNESS WHERE OF I/we do hereunto set my/our hand to these presents of which have been understood by me/us this 12th day of February , 2025.

ACCEPTED

CLIENT

प्रभारी अधिकारी / विधि
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

Respondent

MALAK BHATT
ADVOCATE FOR
C-7, GROUND FLOOR,
NIZAMUDDIN EAST,
NEW DELHI – 110013
M: +91-9650592002
E: malak@malakbhatt.com

MALAK MANISH BHATT
Advocate-on-Record, Supreme Court of India
B.A., LLB (Hons.); BCL (Oxford)

Office: C-7, Ground Floor
Nizamuddin East,
New Delhi-110013

Mobile: +91-9650592002
Email: malakbhatt@gmail.com
Tel: 011-43019000

18.02.2025

To,
The Registrar,
National Green Tribunal, New Delhi

Ref: In the National Green Tribunal, New Delhi
Reply Affidavit in Original Application No. 367 of 2022
Rajendra Prasad Gupta v. State of U.P. and Ors., on behalf of Respodnent No. 9, Varanasi Development Authority

Sub: Undertaking letter

Dear Sir,

The present Affidavit on behalf of the Respondent No. 9, Varanasi Development Authority had been filed on 17.02.2025. This is with respect to Defect of Dim annexures and uncoloured photographs wherein due to the matter listed tomorrow it would be impossible to obtain the better copies of the annexures and coloured copies of the photographs. It is undertaken that the better copies of the dim/illegible annexures and coloured copies shall be provided to the court at the earliest or as and when directed by the Hon'ble Tribunal.

It is most humbly requested that the Affidavit on behalf of Respondent No. 9 in OA No. 367 of 2022 be taken on record since the matter is listed tomorrow.

Yours Sincerely,

Malak Manish Bhatt
Advocate for the Petitioner
CC No. 2632